भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 2898
उत्तर देने की तारीख: गुरुवार, 13 अगस्त, 2026
22 श्रावण,1948 (शक)

स्मारकों का संरक्षण

2898. **श्री राजिन्दर गुप्ताः**

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि 3,691 केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों में से 531 पर अतिक्रमण की सूचना मिली है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने ऐसे स्मारकों की सीमा और भू-स्वामित्व के ब्यौरे में कमियों, जिनके कारण अतिक्रमण और भूमि विवादों से उनकी सुरक्षा करने में कठिनाई होती है, के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की समुक्तियों का संज्ञान लिया है; और
(ग) क्या सरकार ऐसे सभी स्मारकों की सीमाओं के सर्वेक्षण, भौगोलिक संदर्भ देने और डिजिटलीकरण के लिए एक समय-बद्ध कार्यक्रम आरंभ करने और उनकी विधिक संरक्षा को मजबूत करने के लिए इसे राज्य के भू-अभिलेखों के साथ एकीकृत करने का विचार रखती है?

उत्तर

संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): देश में 3688 प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष है, जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया है, जिनमें से 414 स्मारकों और स्थलों पर अतिक्रमण की सूचना मिली है। इनका राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।
(ख): सरकार ने टिप्पणियों का संज्ञान लिया है। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत, किसी स्मारक के संरक्षण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उस भूमि का अधिग्रहण किया जाए यासरकारी स्वामित्व में हो, जिस पर वह स्मारक स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यउद्देश्य प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और उसके तहत बनाए गएनियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और रखरखाव करना है। जहां कहीं भीअतिक्रमण या अनाधिकृत गतिविधियां देखी जाती हैं, वहां प्राचीन संस्मारक तथापुरातत्वीय स्थल और अवशेषअधिनियम, 1958 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत उचित कार्रवाई कीजाती है। इसके अलावा, स्मारकों की सीमा तय करने हेतु संरक्षित स्मारकों और स्थलों की सीमाओं की रक्षा करने के लिए स्थानीय राजस्व अधिकारियों के साथ समन्वय करके संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है।

(ग): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षित स्मारकों और स्थलों की सीमाओं का सर्वेक्षण, भौगोलिक संदर्भ और डिजिटलीकरण पूरा कर लिया है और उन्हें भुवन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। संबंधित राज्य सरकारों और राजस्व अधिकारियों के साथ समन्वय में, जहां भी आवश्यक हो, राज्य भूमि अभिलेखों के साथ इस तरह के आंकड़ों का एकीकरण किया जा रहा है।

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 13.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2898 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अतिक्रमण वाले संरक्षित स्मारकों और क्षेत्रों (स्थलों) का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	अतिक्रमण के तहत स्मारकों और क्षेत्रों (स्थलों) की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	01
2.	अरुणाचल प्रदेश	01
3.	असम	12
4.	बिहार	13
5.	छत्तीसगढ	12
6.	दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेश))	01
7.	गोवा	01
8.	गुजरात	11
9.	हरियाणा	06
10.	हिमाचल प्रदेश	03
11.	जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश)	12
12.	कर्नाटक	60
13.	मध्य प्रदेश	03
14.	महाराष्ट्र	49
15.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (केंद्र शासित प्रदेश)	14
16.	ओडिशा	13
17.	पंजाब	03
18.	राजस्थान	30
19.	सिक्किम	01
20.	तेलंगाना	03
21.	तमिलनाडु	72
22.	त्रिपुरा	01
23.	उत्तर प्रदेश	78
24.	पश्चिम बंगाल	15
	कुल	**414**
